अब पर्यावरण की कसौटी पर कसी जाएगी एक-एक योजना

अमर उजाला ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर दिए जाएंगे नंबर

नंबर से तय होगा कि योजना पर्यावरण के नजरिये से पास है या फेल

लखनऊ। अब हर योजना को पर्यावरण के मानक पर परखा जाएगा। कौन सी योजना पर्यावरण के कितनी अनुकूल है और कितनी नुकसानदायक, इस आधार पर उसे नंबर दिए जाएंगे। इन नंबरों का भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जिस योजना को जितने नंबर मिलेंगे, उस आधार पर उसका 'ग्रीन रेलेवेंस' निकाला जाएगा। अभी पर्यावरण के इन मानकों को 17 विभागों से जोड़ा गया है। यानी इन विभागों की 'ग्रीन टैगिंग' की गई है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसी कवायद के तहत प्रदेश सरकार ने सोमवार को पहला ग्रीन बजट भी पेश किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक हानिकारक गैसों में प्रभावी कमी लाने और 2047 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इसके लिए विभागों की रैंकिंग उनकी योजनाओं को मिलने वाली ग्रीन टैगिंग से होगी। जिस योजना को जितने ग्रीन टैग मिलेंगे, उसे उतना ही ज्यादा पर्यावरण फ्रेंडली माना जाएगा। हर विभाग को पर्यावरण के अलावा सोशल और गर्वनेंस के मानकों पर भी अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे। इन तीनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक हैं और सभी के निश्चित नंबर हैं।

इन मानकों पर विभागों की योजनाओं को परखा जाएगा। उदाहरण के लिए लोक निर्माण विभाग सड़कें बनाता है, जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा है। मानकों के आधार पर विभाग की किसी योजना को 20 नंबर मिले, लेकिन अगर सड़क के दोनों तरफ सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। पेड़-पौधे लगाने पर योजना की नंबरिंग और सुधर जाएगी। इसी तरह नवीनीकृत ऊर्जा विभाग के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि सोलर पार्क का 'ग्रीन रेलेवेंस' ज्यादा होगा। वन विभाग के कामकाज की नंबरिंग बेहतर ही होगी, जबकि समाज कल्याण विभाग की नंबरिंग बहुत कम होगी, क्योंकि विभाग का काम सामाजिक है, न कि पर्यावरण से जुड़ा है। लेकिन उसकी योजनाओं को भी पर्यावरण से जोड़ा जाएगा। इस तरह हर योजना का ग्रीन रेलेवेंस निकाला जाएगा। अभी तक अधिकतम 52 फीसदी ग्रीन रेलेवेंसी आई है। इसे लगातार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

इन 17 विभागों को दी गई है ग्रीन टैगिंग

परिवहन विभाग, कृषि विभाग, शहरी आवास योजना विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नवीनीकृत ऊर्जा विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. एमएसएमई विभाग, शहरी विकास विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्व विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और सिंचाई विभाग।